



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179422

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30114 वर्ष 2026

श्रीमती अंजलि

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अर्चना सिंह, श्याम मोहन सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदिका की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अर्चना सिंह तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री कुंवर तेजेंद्र बहादुर को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 0244 सन् 2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109(1), 103(1) बी.एन.एस., थाना रामगढ़ ताल नगर, गोरखपुर, जनपद गोरखपुर में, अधीनस्थ न्यायालय में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदिका को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदिका की विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदिका को प्रथम सूचना रिपोर्ट में छह अन्य व्यक्तियों के साथ नामजद किया गया है, किंतु सभी अभियुक्तों के विरुद्ध केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदिका सह-अभियुक्त लेहरी की पत्नी है और केवल इसी कारण से उसे भी उसके तथा अन्य अभियुक्तों के साथ वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में भी सह-अभियुक्त रामावती, जो सह-अभियुक्त राजकुमार की पत्नी है, को अभियुक्त बनाया गया था और इस न्यायालय द्वारा एक अत्यंत विस्तृत आदेश के माध्यम से उसे जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा उसके जमानत आदेश की प्रति पेपर बुक के पृष्ठ 89 पर संलग्न है और आवेदिका का मामला उसके समान है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदिका एक महिला है और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह वर्तमान मामले में दिनांक 01.05.2026 से जेल में है।

7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदिका की विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

9. तथापि, यह दोहरे हत्याकांड का मामला प्रतीत होता है और आवेदिका को प्रथम सूचना रिपोर्ट में छह अन्य व्यक्तियों के साथ नामजद किया गया है, किंतु सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है।

10. आगे, आवेदिका सह-अभियुक्त लेहरी की पत्नी है और उसके साथ सह-अभियुक्त राजकुमार की पत्नी, नामतः रामावती को भी अभियुक्त बनाया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा एक अत्यंत तर्कपूर्ण एवं विस्तृत आदेश के माध्यम से सह-अभियुक्त रामावती को जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदिका का मामला उसके समान है। वर्तमान जमानत आवेदन में इस न्यायालय द्वारा इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाने का कोई अवसर नहीं है।

11. आगे, आवेदिका एक महिला है और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह वर्तमान मामले में दिनांक 01.05.2026 से जेल में है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आवेदिका जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है।

13. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14. आवेदिका-श्रीमती अंजलि को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदिका नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदिका मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदिका किसी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगी।

15. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदिका की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

25 अगस्त, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।